

Conduct of Election Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21C
(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result Election under section 66
of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the legislative Assembly of Rajasthan from
15 - Kolayat Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the
representation of the people Act, 1951, read with rules 64 of the
Conduct of Election Rules 1961, I declare that

Shri Bhanwar Singh Bhati
VPO-Hadan,
Teh.-Kolayat, Distt.- Bikaner

sponsored by **Indian National Congress** (name of the
recognized / registered political party) has been duly elected to fill
the seat in that house from the above constituency .

Place :- Bikaner

Date :- 11-12-18



(RATAN KUMAR)
Returning Officer, Kolayat(15),
Assembly Constituency

रिटर्निंग अधिकारी
विधानसभा क्षेत्र (015) कोलायत
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोलायत

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

15—कोलायत विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से राजस्थान
की विधान सभा के लिए निर्वाचन।


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री भंवर सिंह भाटी
गांव व पोस्ट—हदां
तहसील—कोलायत, जिला—बीकानेर

इंडियन नेशनल काँग्रेस से खड़े हुए/किए गए हैं

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- बीकानेर
तारीख :- 11-12-2018


(रतन कुमार)
रिटर्निंग ऑफिसर कोलायत (015)
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
रिटर्निंग अधिकारी
विधानसभा क्षेत्र (015 कोलायत
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोलायत